न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

रोसड़ा थाना काण्ड सं0 335/19,कम्पयूटर निबंधन सं0 1237/19

23.10.19 आवेदक **1. दुर्गेश कुमार राय,** जो रोसड़ा थाना काण्ड सं0 335/19, धारा–272, 273 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 16.10.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है, उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दि0 16.10.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–272, 273 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा वाहन जॉच के क्रम में घटनास्थल पर आवेदक अभियुक्त को मारूती सुजूकी निबंधन सं0 बी0आर0–01ए0सी0/7505 में रखे, सील टुटा हुआ 180 एम0एल0 के बोतल में करीब 125 एम0एल0 विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आवेदक दि0 16.10.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 दस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। एक जमानतदार अभियुक्त का माता/पिता अथवा निकटतम संबंधी होगा। आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद